छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 22/07/2017

क्रमांक एफ 10–14/2017/16 :– छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2)(ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारी एवं परिवारजनों के लिए निम्नानुसार योजना बनाई जाती है:–

(अ) **योजना का प्रावधान** :–

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना 2017"** होगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत किसी औद्योगिक संस्थान/स्थापना में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण जैसे–फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, ईलेक्ट्रीशियन, फर्नेन्स ऑपरेटर, इन्स्टूमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक इत्यादि एवं समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा। ऐसे श्रमिक जो किसी स्थापना में वर्षो से अपने अनुभव के आधार पर कार्यरत है परन्तु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमाण–पत्र के अभाव में उन्हें कुशल श्रेणी से वंचित रखा गया है। इन कर्मचारी/उनके परिवारों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(iii) पंजीकृत संगठित कर्मचारी जिस ट्रेड में कार्य करते है उसका प्रमाण पत्र प्रदाय करना (DIRECT CERTIFICATION)

(iv) ट्रेड वाईज आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का प्रशिक्षण आवश्यक होगा।

(v) योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

(vi) इस योजना का लाभ संगठित क्षेत्र के समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत पंजीकृत/अभिदायदाता श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को प्रदाय किया जावेगा।

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगें।

(ब) **योजना हेतु पात्रता** :–

(i) आवेदक स्थापना का पंजीकृत/अभिदायदाता श्रमिक हो एवं स्थापना द्वारा श्रम कल्याण मंडल में पंजीयन एवं अभिदाय जमा किया गया हो।

.....2.....

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में मंडल कार्यालय में नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को होगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है। उस स्थिति में कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़ का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए0केरकेट्टा)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10–14/2017/16 **नया रायपुर, दिनांक 22/07/2017**

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नया रायपुर (छ0ग0)।
04. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
05. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
06. अध्यक्ष, छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, पी–3, सी 244, 245, सेक्टर–27, नया रायपुर (छ0ग0)।
07. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, पी–3, सी 244, 245, सेक्टर–27, नया रायपुर (छ0ग0)।
08. नोडल अधिकारी, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, पी–3, सी 244, 245, सेक्टर–27, नया रायपुर (छ0ग0)।
09. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....
10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. गार्ड फाईल।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग